प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2018

विषय :वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 की संस्तुति के आधार पर जिला पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में गठित वेतन समिति 2016 द्वारा जिला पंचायतों हेतु अपने प्रथम प्रतिवेदन के भाग-5 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायत के विभिन्न श्रेणी के ऐसे कार्मिक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य है, के लिए पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के संबंध में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो प्रक्रिया राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में जारी शासनादेश संख्या- 38/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या- 39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस/2017/308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या- 31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)/2016, दिनांक 04-9-2017 के अनुसार अपनाई गई है।

2- जिला पंचायतों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत का होगा।

3- जिला पंचायत के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त से आने वाले व्यय भार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्पन्न नहीं होगा। जिला पंचायत को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित पेंशन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

4- जिला पंचायतों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन संरचना का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त् व्यय भार को संबंधित जिला पंचायत द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जिला पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत जन सामान्य को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

5- उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) कर्मचारी सेवानिवृत्त लाभ नियमावली, 1972 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अधिकारी (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2001 तथा शासनादेश संख्या-6224/33-2-98-39जी/98, दिनांक 28-05-1999 में निहित प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-108/दस-2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 2/2018/802(1)/33-2-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
(4) उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(9) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
(10) पंचायती राज अनुभाग-1/3
(13) अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।